राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ,
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक एफ 11(3)मो./आईसीडीएस/बजट घोषणा/14--15/बिन्दु सं.163/ 94342-374 जयपुर, दिनांक: 15.7.16

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त, राजस्थान।

विषय :— आंगनबाड़ी केन्द्र सह शिशु पालना गृह के संचालन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपसे प्राप्त सूचनानुसार लेख है कि बजट घोषणा वर्ष 2014 15 के बिन्दु संख्या--163 के अनुसार राज्य के 100 आंगनबाड़ी केन्द्रों को सह शिशु पालना गृह के रूप में संचालित किया जा चुका है। इन केन्द्रों को औपचारिक रूप से नहीं अपितु इससे संबंधित बच्चों को लाभान्वित किये जाने की दृष्टि से नियमित संचालन की आवश्यकता है।

अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र सह शिशु पालना गृह पर दी जाने वाली सेवाएं बेहतर हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र बच्चों की शिशु पालना गृह पर उपस्थिति हो सके। संचालन की सत्यता अपने स्तर पर जांच/पुष्टि करने के उपरान्त सही तथ्य अंकित कर मासिक प्रगति रिपोर्ट पंजीकृत/लाभार्थियों की सही संख्या सहित निर्धारित प्रपत्र में विभागीय ई—मेल jdm.wcd@rajasthan.gov.in पर दिनांक 18.07.2016 तक भिजवाने की व्यवस्था करावें एवं भविष्य में प्रतिमाह भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि विभाग द्वारा सही सूचना संकलित कर उच्च अधिकारियों एवं शासन स्तर पर प्रेषित की जा सके।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 11(3)मो./आईसीडीएस/बजट घोषणा/14—15/बिन्दु सं.163/ 94375-679 **जयपुर, दिनांक:** 15.7.16
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1 समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, राजस्थान को पत्र भेजकर लेख है कि अपनी परियोजना से संबंधित केन्द्रों के संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करावें, साथ ही मासिक प्रगति रिपोर्ट पंजीकृत/लाभार्थियों की संख्या सहित उप निदेशक कार्यालय को दिनांक 16.07.2016 तक एवं भविष्य में भी प्रतिमाह भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
2 ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक (मो.)
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर